

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या-2472/331

दिनांक, मिर्जापुर, मई 18, 2022.

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6 राणा पताप मार्ग,
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

विषय: जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP पाईप लाईन एवं जंकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- संदर्भ: 1- भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०पी०/०८/२६३/२०२१/एफ०री०/४०, दिनांक १९-०४-२०२२.
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक ३००६/११-सी-एफ०पी०/यू०पी०/वाटर/११९८९४/२०२१, दिनांक २१-४-२०२२.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP पाईप लाईन एवं जंकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की अनुमति के बावत ०२ विन्दुओं पर वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-३००६/११-सी/एफ०पी०/यू०पी०/वाटर/

११९८९४/२०२१ दिनांक २१-०४-२०२२ के माध्यम से ०३ प्रतियों में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित विन्दु संख्या-१ में उल्लेख किया गया है कि "Vide this office letter dated 21-12-2021 it was asked to clarify/rectify the CA land which was falling in Reserve Forest area. DFO Mirzapur vide his letter dated 3-3-2022 informed that the proposed CA area is not forest land instead it is further requested to kindly rectify the boundaries of the Forest block in FSI records so that the same can be depicted in DSS analysis."

प्रस्तावित क्षतिपूरक बनीकरण हेतु भूमि प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग के वन क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, इसलिए उसके स्थान पर नया गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाय। यदि प्रस्तावित भूमि गैर वन भूमि है, तो प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर के सहयोग से एफ०एस०आई० के रिकार्ड में वन भूमि की सीमा को सही करवायें।

अतः उक्त अपेक्षित सूचना ०४ प्रतियों में इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें, ताकि वांछित सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

SR

(रांजीव कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।